सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 7/2010

रमेश चन्द पुत्र मोडू जाति चमार निवासी किशनपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

.....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांक: 04.03.2010 निर्णय दिनांक : 10.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरा के हाल खसरा नं0 474 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 489 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 576 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 645 रकबा 1.22 है0, खसरा नं0 646 रकबा 1.17 है0, खसरा नं0 580 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 743 रकबा 0.59 है0 कुल किता 7 रकबा 3.84 है0 भूमि स्थित है। जिसमें केवल साबिक खसरा नं0 505 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा नं0 645 रकबा 1.22 है0, व खसरा नं0 646 रकबा 1.17 है0, आराजी ही विवाद ग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की गयी है। राजस्व व सेटलमेंट कार्मिको ने गैरकानूनी तरीके से साबिक नक्शा ग्राम किशनपुरा में से साबिक खसरा नं0 505 का स्वरूप हाल नक्शा ट्रेस को बदल दिया है जो वर्तमान खसरा नं0 645 व 646 है। इसी प्रकार साबिक खसरा नं0 505 का रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा के स्थान पर हाल खसरा नं0 645 रकबा 1.22 है0 तथा 646 रकबा 1.17 है0 कुल 2 बीघा 39 बिस्वा कायम किया गया इस प्रकार वर्तमान रकबा राजस्व रेकार्ड से 1 बीघा 8 बिस्वा 0.24 है0 भूमि प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड में कम की गयी सेटलमेंट अधिकारियों को कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है। प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड में पूर्व खसरा नं0 585 मि0 का रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा के मुकाबले 2 बीघा 3 बिस्वा यानी 14 बीघा 1 बिस्वा के स्थान पर कुल 15 बीघा 19 बिस्वा दर्ज होनी चाहिए इस प्रकार प्रार्थी के रकबे को दूरूस्त किया जाकर 1 बीघा 8 बिस्वा यानी 0.24 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए। अतः वर्तमान नक्शा साबिक नक्शे के मुताबिक हाल खसरा नं0 645 व 646 को उत्तरी ओर दुरूस्त किया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 04.03.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू0अ0/2018/14 केम्प किशनपुरा दिनांक 10.05.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी रकबा पूर्ति नही की जा सकती तथा असल नक्शे में तरमीम कर दुरूस्त कर दिया गया है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम किशनपुरा में स्थित आराजी किता 11 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबे की पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की प्रार्थी की आराजी के असल नक्शेल में तरमीम कर दुरूस्त कर दिया गया है व प्रार्थी की रकबा पूर्ति नही की जा सकती है। और ना ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नंम्बर से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थना पत्र में संदर्भित तथ्यो की पूर्ति तहसीलदार मांगरोल द्वारा की जा चुकी है। प्रकरण में और कार्यवाही शेष नही होने से पत्रावली ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।